संख्या–4554 / 9–आ–1

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर,1998

विषय : सुदृढ़ीकरण शुल्क लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1612 / 9–आ–1–1998 दिनॉक 2 मई, 1998 के अनुसार विकास प्राधिकरणों द्वारा पुराने विकसित क्षेत्रों मं भवन निर्माण का अनुज्ञा हेतु प्राप्त मानचित्रों में प्रस्तावित आच्छादित तल क्षेत्रफल पर 26 / – रू0 प्रति वर्ग मीटर की दर से सुदृढ़ीकरण शुल्क लिए जाने की व्यवस्था है :–

(1) शासनादेश संख्या–5748 / 11–5–86–52 मिस / 86 दिनॉक 12–8–86 तथा 7254 / 11–5–86 दिनॉक 29.10.86 में निदेशित सुदृढ़ीकरण शुल्क की गणना भूखण्ड के क्षेत्रफल पर लिए जाने की व्यवस्था है तथा उसमें यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि चूँकि व्यवसायकि एवं कार्यालय उपभीग के लिए अपेक्षाकृत अधिक एफ0ए0आर0 दिया जाता है अतः विकास शुल्क आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क से 50 प्रतिशत अधिक होगा।

(2) वर्णित स्थिति के अनुसार शासनादेश संख्या–1612 / 9–आ–1–1998 दिनांक 2–5–98 की दी गयी आच्छादित क्षेत्र हेतु दर सभी प्रकार के भवनों यथा एकल आवास ग्रुप हाऊसिंग बहुमंजिला भवन व्यवसायिक भवन, अथवा कार्यालय हेतु अपयोग के लिए मानचित्र पर समान रूप से लागू होंगे।

(3) शासनादेश संख्या–1612 / 9–आ–1–1998 दिनॉक 2–5–98 में आच्छादित तल क्षेत्रफल पर 26 / – रू प्रतिवर्ग मीटर की दर से सुदृढ़ीकरण शुल्क लेने की व्यवस्था से स्पष्ट है कि जितना अधिक क्षेत्र आच्छादित होगा उतना ही अधिक शुल्क अधिभोगी द्वारा देय होगा तथा एफ0ए0आर0 अधिक होने की स्थिति में स्वाभाविक रूप से ही अधिभोगी को अधिक चार्जेज देना होगा। इस प्रकार कार्यालय, व्यवसायिक अथवा ग्रुप हाऊसिंग हेतु दरों में वृद्धि का कोई आधार नहीं रह जाता हैं

(4) जिन प्रकरण में अंडरटेकिंग लेकर मानचित्र निर्गत किए गये थे उनसे यह चार्ज 15 प्रतिशत ब्याज सहित जो मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश की तिथि से लगाया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा संशोधित मांग–पत्र जारी करने के एकमाह में देय होगा।

मॉग पत्र का सम्यक अनुपालन न होने की दशा में सम्पूर्ण देयकों की वसूली राजस्व बकाये के रूप में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तिथि से चक्रवृद्धि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–5748 / 11–5–86–52 / मिस / 86 दिनॉक 12–8–86 को तद्नुसार संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–4554 / 9–आ–1– तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(2) अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) अध्यक्ष, बिल्डर्स एसोसियेशन।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव